न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, पटना।

बी0बी0सी0 अपील वाद सं0–19/2011–12

क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना वगैरह बनाम जय नारायण प्रसाद चौधरी, प्राधिकृत पुत्री जया प्रसाद

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3
1-3-18	**आदेश** प्रस्तुत वाद क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ौदा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना वगैरह के द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी–सह–गृह नियंत्रक पदाधिकारी, पटना सदर के बी0बी0सी0 वाद सं0 98/10 में दिनांक 27.07.2011 को पारित आदेश के विरूद्ध Bihar Building Control Act की धारा–24 के अंतर्गत दिनांक 11.08.2011 को अपील आवेदन दाखिल किया गया है। वाद प्रतिग्रहण के बिन्दु पर सुनवाई हेतु दिनांक 26.08.2011 निर्धारित किया गया। दिनांक 03.05.2013 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रतिहरण के बिन्दु पर सुनकर वाद प्रतिग्रहित किया गया तथा निम्न न्यायालय का अभिलेख मांगते हुए अगली तिथि 28.06.2013 निर्धारित की गई। दिनांक 26.06.2013 को निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त हुआ। उभय पक्षों द्वारा हाजरी दाखिल किया गया। दिनांक 02.02.2014 को अपीलार्थी उपस्थित हुए। परन्तु विपक्षी अनुपस्थित रहे। विपक्षी को प्रत्युतर दाखिल करने के लिए अंतिम मौका दिया गया। दिनांक 07.05.2016 से 16.07.16 तक लगातार तीन तिथियों पर अनुपस्थित रहने पर विपक्षी को अंतिम मौका इस आशय के साथ दिया गया कि अगली तिथि 03.09.2016 को उपस्थित होकर अपना पक्ष नहीं रखते हैं तो एक पक्षीय सुनवाई कर दिया जायेगा। इसके बाद भी दिनांक 03.09.2016 से 01.03.18 तक लगातार 14 (चौदह) तिथियों पर विपक्षी अनुपस्थित हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी को वाद संचालन में कोई अभिरूचि नहीं रह गयी है। दिनांक 01.03.2018 को अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों का परिशीलन किया एवं अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को ex-parte सुना।	

अपीलार्थी का कहना है कि मेरे द्वारा प्रश्नगत भवन को दिनांक–31.10.2012 को खाली कर दिया गया है। साक्ष्य के रूप में मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ बड़ोदा का पत्रांक–TC/Pat/2012-13, दिनांक–22.09.12 अभिलेखवद्ध है।

अपीलार्थी के स्तर से रखे गये तथ्यों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी एवं गृह स्वामी के बीच एकरानामा की शर्त्तों को लेकर गृह किराया की बढ़ोतरी का विवाद है। पूर्व में भी गृह किराया के मामले में गृह स्वामी द्वारा वाद दायर किये जाते रहे हैं और अपीलार्थी द्वारा निबंधित डाक से चेक द्वारा राशि गृह स्वामी को भेजे जाने पर उनके द्वारा अस्वीकार किया जाता रहा है। चूंकि विपक्षी अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय में उपस्थित ही नहीं हुए, अतः इस संदर्भ में यही माना जायेगा कि अपीलार्थी द्वारा रखे गये तथ्य पर उन्हें कुछ नहीं कहना है।

उपरोक्त विवेचना से यह भी स्पष्ट है कि चूंकि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरूचि नहीं है, अतः इस वाद में आगे सुनवाई जारी रखने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

अतः अपीलार्थी के आवेदन को स्वीकृत करते हुए गृह नियंत्रक –सह–अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर के द्वारा बी0बी0सी0 वाद सं0 98/10 जय नारायण प्रसाद चौधरी बनाम रिजनल मैनेजर बैंक ऑफ बड़ोदा वगैरह में दिनांक 27.07.2011 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है। साथ ही वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

इस आदेश की प्रति उभय पक्षों तथा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर को अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
पटना।